2

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

प्रधानी नियुक्ति अपील वाद सं0–03 / 21–22

नथानियल हेम्ब्रम...अपीलकर्त्ता

बनाम

राधा रंजन टुडू..उत्तरकारी

आदेश

17.08.2021

यह प्रधानी नियुक्ति अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0– 66 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक– 24.02.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। विस्तृत आदेश पारित हेतु वाद को अंगीकृत किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–भलका, अंचल–मसलिया प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम प्रधान दिवानी हॉसदा की मृत्यु 01.08.2016 को हो चुकी है। पूर्व प्रधान दिवानी हाँसदा निःसंतान थे।

पूर्व प्रधान की मृत्यु के पश्चात् अपीलकर्त्ता द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा 05 एवं उत्तरकारी द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अंतर्गत मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय में अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरकारी पूर्व प्रधान के छोटे भाई के प्रथम पुत्र है एवं उनके प्रधान पद पर नियुक्ति के विरूद्ध सोलह आना रैयतों के द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है।

(3)

अंचल अधिकारी, मसलिया के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरकारी को निम्न न्यायालय के द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा 06 के अंतर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। अभिलेख के अनुसार अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के वंशज नहीं हैं। फलतः निम्न न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अंतर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

निम्न न्यायालय का निर्णय, तथ्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत तथा संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात दिया गया है। उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है तथा उक्त के संबंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:14:24 +05:30
Location: 169.254.227.244